14th

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में "राज्य गंगा समिति" की दिनांक 27.05.2024 को सम्पन्न 14वीं बैठक का कार्यवृत्त।

Diary No. 692
12/07/24

बैठक में निम्नलिखित अधिकारीगण द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

1. अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10. प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
11. प्रमुख सचिव, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
12. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
14. मण्डलायुक्त, लखनऊ।
15. जिलाधिकारी, लखनऊ।
16. मण्डल रेल प्रबंधक, उत्तर रेलवे, लखनऊ।
17. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
18. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
19. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
20. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
21. क्षेत्रीय अधिकारी (पश्चिमी), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लखनऊ।
22. श्री ए०के० सिंह, मुख्य अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
23. श्री महेश वर्मा, मुख्य अभियंता, नगर निगम, लखनऊ।
24. श्री राजकुमार, अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
25. श्री वैंकटेश दत्ता, प्रोफेसर, पर्यावरण, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ।

2. बैठक में अवगत कराया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 29.05.2023 को सम्पन्न समीक्षा बैठक में कुकरैल नदी को प्रदूषण मुक्त करने एवं पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से गंदे नालों को कुकरैल में प्रवाहित होने से रोकने, नदी तट के सौन्दर्यीकरण, साइट डेवलपमेन्ट एवं ग्रीन बेल्ट विकसित करने का कार्य चरणबद्ध रूप से कराने तथा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा कुकरैल नदी के कैचमेन्ट एरिया में तत्काल Desilting की कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये।

3. उक्त के क्रम में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा दिनांक 11.03.2024 को जिला गंगा समिति की बैठक में कुकरैल नदी की Desilting के संबंध में बनाये गये प्रोजेक्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया। तद्विषयक कार्यवृत दिनांक 22.03.2024 में लिये गये निर्णय के क्रम में जिला गंगा समिति द्वारा कुकरैल

Scanned with OKEN Scanner

नदी के नगरीय, ग्रामीण तथा वन क्षेत्र में Desilting की कार्यवाही किये जाने के संबंध में सुझाव दिये गये।

4. कुकरैल नदी को प्रदूषण मुक्त करने एवं पुनर्जीवित करने तथा उक्त क्षेत्र में विकास कार्य हेतु सिंचाई विभाग द्वारा कुकरैल नदी की Desilting के कार्य हेतु Desilting प्रोजेक्ट का प्रस्तुतीकरण मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आहूत "राज्य गंगा समिति" के समक्ष किया गया।

5. बैठक में समस्त बिन्दुओं पर गहन विचार-विमर्श के उपरान्त निम्नांकित कार्यवाहियाँ कराये जाने के निर्देश दिये गये:

1. नगरीय क्षेत्र में स्थित कुकरैल नदी के कैचमैन्ट एरिया में Desilting की कार्यवाही हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की एस0ओ0पी0 विषयक पत्र संख्या-3-70/2020-I.A.III[141127] दिनांक 21.08.2023 के अनुसार किसी भी प्रकार की EIA की आवश्यकता नहीं है।

   (कार्यवाही: प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन/नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ)

2. वन संरक्षित क्षेत्र में स्थित कुकरैल नदी के कैचमैन्ट एरिया में Desilting एवं Plantation का कार्य वन विभाग द्वारा किया जाए तथा प्रोजेक्ट का डी0पी0आर0 बनाकर उसकी वेटिंग सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग से करा ली जाए। इस पर आने वाले समस्त व्ययभार का वहन वन,पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा किया जायेगा।

   (कार्यवाही: अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन)

3. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कुकरैल नदी के कैचमैन्ट एरिया में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा मनरेगा योजना के माध्यम से Desilting के कार्य के प्रोजेक्ट का डी0पी0आर0 बनाकर उसकी वेटिंग सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग से करा ली जाए। इस पर आने वाला समस्त व्ययभार का वहन ग्राम्य विकास विभाग द्वारा किया जायेगा।

   (कार्यवाही: अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग/प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन/मण्डलायुक्त, लखनऊ/जिलाधिकारी, लखनऊ)

4. कुकरैल नदी को प्रदूषण मुक्त करने एवं पुनर्जीवित करने हेतु सिंचाई विभाग द्वारा "जिला गंगा समिति" के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव के अनुरूप कार्यवाही की जाय तथा नगरीय क्षेत्र, वन क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र में प्रश्नगत Desilting की कार्यवाही से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, भारत सरकार को भी अवगत कराया जाए।

   (कार्यवाही: अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग/प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन/मण्डलायुक्त, लखनऊ/जिलाधिकारी, लखनऊ/नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ)

Scanned with OKEN Scanner

5. वन क्षेत्रों में दूषित जल के शोधन हेतु Nature Based Systems पर आधारित तकनीक का प्रयोग करने की व्यवहार्यता को वरीयता दी जाये तथा योजना का नियोजन करते हुए क्षेत्र की जैव विविधता, आर्द्र भूमि का उसके महत्व को ध्यान रखते हुए उचित प्रबंधन हेतु कार्य योजना समाहित की जाये तथा साथ ही साथ योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जन सहभागिता सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाहीः अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग/प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन)

6. संस्थापक, नीर फाउन्डेशन, मेरठ द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा नीम एवं काली नदी के कायाकल्प हेतु सफल प्रयास किये गये हैं तथा इनके अनुभवों को भी कुकरैल नदी कायाकल्प हेतु उपयोग में लाया जाये, जिस पर समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि छोटी नदियों की कायाकल्प हेतु अन्य गैर सरकारी संस्थाओं जिन्हें इस कार्य का अनुभव है, उनके अनुभवों का लाभ भी प्राप्त कर लिया जाये।

(कार्यवाहीः अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग/प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन)

अन्त में उपर्युक्तानुसार लिये गये निर्णयानुसार बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

Signed by
Anurag Srivastava
Date: 01-07-2024 15:18:01
(अनुराग श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-2
संख्या-502/76-2-2024-E-1717531
लखनऊः दिनांक 02 जुलाई जून, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

Scanned with OKEN Scanner

10. प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
11. प्रमुख सचिव, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
12. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
14. मण्डलायुक्त, लखनऊ।
15. जिलाधिकारी, लखनऊ।
16. मण्डल रेल प्रबंधक, उत्तर रेलवे, लखनऊ।
17. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
18. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
19. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
20. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
21. अपर परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
22. क्षेत्रीय अधिकारी (पश्चिमी), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लखनऊ।
23. श्री ए०के० सिंह, मुख्य अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
24. श्री महेश वर्मा, मुख्य अभियंता, नगर निगम, लखनऊ।
25. श्री राजकुमार, अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
26. श्री वेंकटेश दत्ता, प्रोफेसर, पर्यावरण, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ।
27. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरूण कुमार)
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner